राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.10(32)न्याय/2016 जयपुर, दिनांक 28 DEC 2022

::प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को पेपरलेस कोर्ट बनाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के शेष माह के लिये राशि रु. 22.78 लाख का व्यय लेखामद 2014–00–102–01–00–05 कार्यालय व्यय में उपलब्ध बजट प्रावधान से व्यय किये जाने की सहमति एतत्द्वारा प्रदान की जाती है।

विभाग से अनुरोध है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये आवश्यक राशि का प्रस्ताव आगामी वित्तीय वर्ष में प्रेषित कराने का श्रम करावें।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी. संख्या 102207008 दिनांक 26.12.2022 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को उनके पत्र कमांक III/(i)/(B)/Budget/2022-23/4261 दिनांक 08.12.2022 के कम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)/(व्यय–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. कार्यालय निवासी, लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव